

# लोक शिक्षण संचालनालय, मध्य प्रदेश

गौतमनगर भोपाल-462021

दूरभाष : 91-755-2583650, फेक्स: 2583651, ई-मेल [dpimp@sancharnet.in](mailto:dpimp@sancharnet.in)

भोपाल दिनांक 1 दिसम्बर 2010

क्रमांक/लोशिस/भवन/शै.अभ्यु./2/2010/106  
प्रति,

1. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,  
जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश.
2. समस्त सहायक आयुक्त  
आदिवासी विकास मध्य प्रदेश।
3. समस्त जिला शैक्षिक समन्वयक,  
कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी म.प्र.
4. समस्त जिला शैक्षिक समन्वयक,  
कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग  
म.प्र.

विषय:- कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों की अभ्यास पुस्तिकाओं (कापियों) में ईकाईवार लघु एवं दीर्घ उत्तरीय मॉडल प्रश्नोत्तर लिखवाने बाबत।

—00—

शैक्षिक अभ्युत्थान अंतर्गत किये गये अकादमिक निरीक्षणों में यह तथ्य सामने आया है कि शिक्षक द्वारा ईकाई बार अध्यापन के साथ के लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के मॉडल उत्तर हल विद्यार्थियों को नहीं लिखवाये जाते। इस कारण विद्यार्थी गाईड/कुजियो का सहारा लेते हैं और परिश्रम के बावजूद परीक्षा में सही उत्तर नहीं लिख पाते हैं। यह स्थिति उचित नहीं है।

2. अतः कक्षा 10 वी पढ़ाने वाले सभी विषयों के शिक्षकों को निर्देशित किया जाता है कि अपने विषय से संबंधित ईकाईवार लघु एवं दीर्घ विषय उत्तरीय प्रश्न एवं उनके मॉडल प्रश्न-उत्तर सभी विद्यार्थियों की अभ्यास पुस्तिकाओं (कापियों) में सचित्र (आवश्यकतानुसार) लिखवाये। विशेष रूप से 'डी' एवं 'ई' श्रेणी के समस्त विद्यार्थियों की अभ्यास पुस्तिकाओं (कापियों) को न केवल प्रतिदिन अवलोकित करें, बल्कि यह भी सुनिश्चित करें कि समस्त ईकाईयों के प्रश्न एवं उनके मॉडल उत्तर उनकी कापियों में उन्ही की हस्तालिपि में लिखे हो। इससे विद्यार्थियों को पढ़ाये गये कार्य को कठस्थ कराने में सहायता मिलेगी। इस निर्देश के अनुपालन कराने का दायित्व संस्था प्राचार्य का है।

3. जिलों में कुछ विद्यालय ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें संबंधित विषय के अध्यापन हेतु संबंधित शिक्षक उपलब्ध नहीं हो तथा अन्य विषय के शिक्षक द्वारा अध्यापन किया जा रहा हो तो कार्यवाही करने में कठिनाई आवेगी। अतः यह है कि जिला स्तर पर प्रत्येक विषय के विद्वान शिक्षकों को कार्यशाला कर ईकाईवार अधिकतम लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के मॉडल उत्तर तैयार करा लिया जावे। तैयार कराये मॉडल प्रश्नोत्तरों की फोटोकॉपी संबंधित विषय के शिक्षक विहीन विद्यालयों में भिजवाये जा सकते हैं। तैयार किये गये मॉडल प्रश्नोत्तरों की एक हार्ड एवं साफ्ट कापी अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवश्य भिजवायें। संचालनालय उपरोक्तानुसार ईकाईवार मॉडल प्रश्नोत्तर तैयार करने पर होने वाला व्यय शैक्षणिक अभ्युत्थान के प्रशिक्षण/सामग्री एवं आपूर्ति मद से किया जा सकता है। इन मदों में संचालनालय के आदेश दिनांक 30 नवम्बर 2010 द्वारा समस्त जिलों को पर्याप्त आवंटन जारी किया गया है। उक्त आवंटन आदिवासी बाहुल्य जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को भी दिया गया है।

4. शासकीय हाई/हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में अकादमिक निरीक्षण करने वाले अधिकारियों (जिला शिक्षा अधिकारी, वि.ख.शि.अधि. एवं ओ.आई.सी.) से अपेक्षा की जाती है कि वे इन निर्देशों के अनुपालन की जांच के लिए कक्षा 10 वीं के विद्यार्थियों की अभ्यास पुस्तिकाओं (कापियों) का अवलोकन आवश्यक रूप से कर निरीक्षण प्रतिवेदन में विशिष्ट रूप से अंकित करेंगे।

5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शैक्षिक समन्वयकों का दायित्व है कि उक्त पत्र की प्रति प्रत्येक प्राचार्य की टेबिल पर उपलब्ध गाईड फाईल (निर्देश नस्ती) में उपलब्ध हो।

( प्रभात आर. तिवारी )

राज्य अकादमिक समन्वयक  
वास्ते- आयुक्त  
लोक शिक्षण, मध्य प्रदेश

पृ.क्रमांक/लोशिस/भवन/शै.अभ्यु/2/2010/107  
प्रतिलिपि:-

भोपाल दिनांक 1 दिसम्बर 2010

1. विशेष/निज सहायक मान. मंत्री /राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा की ओर सूचनार्थ ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा/आदिम जाति कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल ।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास ,सतपुडा भवन भोपाल ।
4. आयुक्त,लोक शिक्षण के स्टाफ आफिसर की ओर आयुक्त महोदय को अवगत कराने हेतु ।
5. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश ।
6. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्यप्रदेश ।
- 7 श्री जे.के.प्रभाकर उपआयुक्त एवं नोडल अधिकारी शैक्षिक अभ्युत्थान,कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास सतपुडा भवन भोपाल ।



राज्य अकादमिक समन्वयक  
लोक शिक्षण,मध्यप्रदेश